

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

दालत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी मधोदय मुकाम श्रीलवाडा (राज.)  
 श्रीरामचंद्रश्यामजी शंकरदासजी बनाम श्रीमति वसन्ती देवी शंकरमोहनदासजी  
 मुकदमा नं. 88-89-188 R.A नं. 43 सन् 2019

रीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
1-4-19	<p>वस्तीम दादी ने एन दाड मउ इतगत चय 88-89-188 R.A के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्ताव (क्रिया) प्रस्तुत की। डॉ. रजिस्ट्रार (क्रिया) जाकर जस्टिस अफसर श्री प्रतिवादीगण को तलब किया जावे। वानके प्रतिवादीगण की तलबी देख पडावली दिनांक 15-4-19 को पेश हो।</p>	
15-4-19	<p>पडावली पेश हुई। वस्तीम दादी उपास्थित। प्रतिवादीगण के कम्पन काड तामील जा लाउडे। जिसे तामील पडावली क्रिया गया। प्रतिवादीगण उपास्थित नहीं। P.O. का 0 चुनाव कार्य के बयस्त हो। वानके प्रतिवादीगण के कडिक कार्यवाही देख पडावली दिनांक 8-7-19 को पेश हो। B.O.</p>	
8-7-19	<p>पडावली पेश हुई। वस्तीम दादी उपास्थित। दादी एवं प्रतिवादी कंग ने उपास्थित होकर एक प्राथमी राजीनामा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे शांतिम पडावली क्रिया गया। उक्त पत्र के प्रस्तुत इसकी राजीनामा का प्रार्थना पत्र पर बहक करती थी। बहक प्राथमी राजीनामा पर हुकी गयी। बहक के दौरान वस्तीम दादी ने एक क्रिया कि एक पत्रकारिता के पदम शपक के राजीनामा के जाया है तब कोई विवाद नहीं रहा है। राजीनामा के बाद दादी रजिस्ट्रार जोड़ना के डउकाड प्रतिवादी कंग का विच्छिन्न जोड़पु है। मोहन दाद की ने कपत जीवनकाल के एक जोड़पु 30 वर्ष पूर्व जोड़ किया है। जिसे प्रतिवादी कंग ने जोड़पु स्वीकार कर जोड़ नामा निष्पादीन किया है। प्रतिवादी कंग। एवं उक्त पत्र मोहनक का दादी जोड़पु</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
 भीलवाड़ा

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

दोनों के राजस्व के फार्म नं. 1181 के अन्तर्गत 1179  
रकबा 2 बीघा, 1181 रकबा 3 बीघा 11 बीघा के वादी  
को 112 रिकॉर्ड का रवायतदार कोशतदार है। इस कोशत  
राजस्व के फार्म नं. 1181 के अन्तर्गत जोकर राजस्व के फार्म  
नं. 1181 के अन्तर्गत 510 प्रवेसदार कुतबनग मोहनदास देवन  
का नाम जोकर/ इतः बाजीगार/ इतकाद वाद पर रिकॉर्ड  
द्वारा जारी की गयी है।

यह पत्रावली का प्रयोजन (जिमा) तथा राजस्व के फार्म  
के अन्तर्गत पत्रावली के पत्र पर भगत (जिमा) न्याय (जिमा)  
के अन्तर्गत राजस्व के अन्तर्गत वादी को वाद पर रिकॉर्ड  
जिमा जोकर रिकॉर्ड के अन्तर्गत वादी के अन्तर्गत  
इस के अन्तर्गत जारी की गयी है। यह राजस्व के  
पत्रावली द्वारा जारी तदन्तर्गत के अन्तर्गत  
के अन्तर्गत राजस्व के अन्तर्गत 1179 रकबा 2 बीघा  
1181 रकबा 3 बीघा 11 बीघा कुल (जिमा) 2 रकबा  
3 बीघा 13 बीघा के अन्तर्गत वादी को 112 रिकॉर्ड  
का रवायतदार कोशतदार घोषित जिमा जाता है। इसी  
रकबा वादी का नाम 112 रिकॉर्ड के अन्तर्गत राजस्व  
के अन्तर्गत के अन्तर्गत जिमा जोकर/ प्रतिवादी के अन्तर्गत  
के अन्तर्गत राजस्व के अन्तर्गत के अन्तर्गत जारी की गयी है।  
यह (जिमा) के अन्तर्गत के अन्तर्गत के अन्तर्गत  
के अन्तर्गत के अन्तर्गत के अन्तर्गत के अन्तर्गत  
के अन्तर्गत के अन्तर्गत के अन्तर्गत के अन्तर्गत  
के अन्तर्गत के अन्तर्गत के अन्तर्गत के अन्तर्गत

उपर्युक्त अधिवारी  
भारतवादी